सेंसर बोर्डों का गठन

727. श्री डा० अबरार अहमद : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म सेंसर बोर्ड और मंत्रालय के अन्य सेंसर बोर्डों को गठित करने संबंधी नियम क्या है और इन समितियों का सदस्य बनने के लिये पात्रता की शर्तें क्या हैं ;

(ख) क्या पूर्व सरकार ने फिल्म सेंसर बोर्ड और दूरदर्शन धारावाहिक सेंसर बोर्ड का गठन किया था ; यदि हां, तो तो क्या उन्होंने नियमों का पालन किया था ; और

(ग) क्या सरकार इन बोर्डों का पुनर्गठन करेगी ; यदि हां, तो कब तक ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी सिंदिया व्यास) : (क) केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये फिल्मों को मंजूरी देने के वास्ते चलचित्र अधिनियम, 1952 के उपबंधों की शर्तों के अनुसार फिल्म प्रमाणन बोर्ड का गठन करती है । इस बोर्ड का एक अध्यक्ष तथा कम से कम 12 और अधिक से अधिक 25 सदस्य होते हैं ।

सामाजिक-विज्ञान, विधि, अध्यापन, कला, आदि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के केवल ऐसे ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को सदस्य नियुक्त किया जाता है जो केन्द्रीय सरकार की राय में जनता पर फिल्मों के पड़ने वाले प्रभाव को आंकने में समर्थ हों ।

(ख) दूरदर्शन धारावाहिक सेंसर बोर्ड नाम से कोई बोर्ड नहीं है ।

केन्द्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड का आखिरी बार नियमानुसार पुनर्गठन दिनांक 19-2-91 को किया गया था ।

(ग) आम तौर पर केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सदस्यों को तीन वर्ष के लिए नामित किया जाता है । निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड का पुनर्गठन पहले भी किया जा सकता है ।

Pension scheme in Public Sector undertakings

728. PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in certain public sector undertakings pension scheme was introduced through bipartite agreements on the basis of equal contribution by employers and employees;

(b) whether the Bureau of Public Enterprises prohibited such contribution by public sector undertakings; and

(c) if so, whether initiative will be taken to remedy this situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRIES (SHRI P. K. THUNGON): (a) to (c) The Memoranda of understanding signed by some Public Sector Enterprises during the course of the last wage negotiations incorporated the clause for introduction of Pension Scheme, based on equal contribution by the employers and the employees. Government did not approve these specific clauses and instead directed that in respect of retirement benefits Public Sector Enterprises should continue with existing Contributory Provident Fund and Gratuity.

Government has also decided that individual Public sector Enterprise may, if they so desire, work out a suitable annuity scheme through the Life Insurance Corporation of India, based on purely voluntary contributions by the employees, through a fund outside the Public